UPBS040025772026

न्यायालय ACJM II, Basti

पीठासीन अधिकारी– (Arif Ahmad Ansari) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP02138**

Criminal Misc. Cases/668/2026

Ramesh Rajbhar Vs. Pramod Chauhan and Others

धारा– 173(4)B.N.S.S.
थाना–दुबौलिया, जनपद बस्ती।

24–08–2026

पत्रावली पेश हुई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को आवेदन धारा 173(4)B.N.S.S. पर सुना गया। थाना आख्या के अनुसार प्रकरण में कोई अभियोग पंजीकृत नही है।

आवेदक की तरफ से आवेदन धारा 173(4)B.N.S.S. प्रस्तुत करके कथन किया गया है कि ''आवेदक ग्राम गजपुर थाना दुबौलिया जिला बस्ती का निवासी है। सूर्यभान निवासी मलिकपुर थाना दुबौलिया बस्ती आवेदक के पूर्व परिचितथे उनका उसके घर आना जाना था। आवेदक की बैजलपुर ग्राम में गाटा संख 154 में 82.6 वर्गमीटर जमीन थी जिसपर आवेदक ने कुछ हिस्से में मकान बनाया था और आगे जमीन बाकी थी अपनी कुछ व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवेदक अपनी उस जमीन/मकान को बेचना चाहता था जिस घर में सूर्यभान आवेदक के उस मकान/जमीन को पांच लाख रूपये में लेने का प्रस्ताव रखे जिसपर वह तैयार हो गया उस समय वार्ता में सूर्यभान के भाई प्रमोद भी मौजूद थे। तय सौदे के अनुसार आवेदक दिनांक 02–04–2025 को रजिस्ट्री आफिस जाकर अपनी उपरोक्त सम्पत्ति को बैनामा सूर्यभान के पक्ष में कर दिया और सूर्यभान ने तय धनराशि पांच लाख रूपये का चेक अपने भाई प्रमोद चौहान के एच–डी–एफ–सी बैंक हरैंया शाखा के खाते से जारी था जिसका नम्बर 000008 था जिसपर प्रमोद ने सहमति से अपना हस्ताक्षर कर भरकर दिया जिसका उल्लेख पंजीकरण बिलेख में भी है जब उसने उक्त चेक भुगतान हेतु अपने खाते में जमा किया तो धन की कमी के कारण उपरोक्त चेक दिनांक 14–05–2025 को वापस हो गया। तब आवेदक ने न्यायालय में चेक बाउन्स का मुकदमा दाखिल किया। अक्टूबर 2025 में प्रमोद अपनी मां के साथ उसके घर पर आये और गलती की माफी मांगते हुए कहे कि मुकदमा उठा लो हम आपका पैसा भुगतान कर देगें और उन्होने बकाया पैसे को दो किश्तों में देने का वादा किया और प्रथम किश्त के रूप में 2,09,000/–रूपये का चेक जो प्रमोद चौहान के पंजाब नेशनल बैंक शाखा अमोढ़ा खास के खाता संख्या 8809000100020075 पर जारी चेक संख्या 194281 तारीख 06–01–2026 का दे दिया और कहा कि तय समय पर भुगतान ले लीजिएगा। इस बावत एक इकरारनामा समक्ष नोटरी भी तैयार हुआ था उनकी बात पर विश्वास कर अपना चेक बाउंस वाला मुकदमा नाटप्रेस करवा दिया। दिनांक 04–02–2026 को सुबह करीब 8–9 बजे प्रमोद अपनी मां के साथ उसके घर आये और उससे कहे कि तुम चेक का पैसा नकद ले लो और चेक वापस कर दो उनकी बात पर विश्वास कर आवेदक ने चेक लाकर उनको दे दिया वह चेक को फाड़ने लगे जब आवेदक ने रोका तो वह उसे कालर पकड़कर साले मादरचोद की गाली देते हुए 2–3 थप्पड़ मारे और चेक फाड़कर फेंकदिये और कहे कि जाओ अब एक भी पैसा नही दूंगा पैसा मांगोगे तो जान से मार दूंगा। जब आवेदक ने पुलिस को फोन करना चाहा तो उनकी मां ने उसकी मोबाइल

Digitally signed by ARIF AHMAD ANSARI
Date: 2026.08.29 11:00:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

छीनकर पटककर तोड़ दिया। आवेदक उनकी धमकियों से बहुत भयभीत है।सूर्यभान, प्रमोद और उनकी मां के इस कृत्य की शिकायत आवेदक ने थाने पर किया परन्तु पुलिस कोई कार्यवाही नही कर रही है। इन लोगों ने छलकर धोखा देकर उसकी जमीन/मकान भी बैनामा करा लिया और पैसा भी नही दिया और अब मांगने पर मार पीट गाली व जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। आवेदक ने उक्त घटना की सूचना थाना दुबौलिया पर दिया परन्तु कोई कार्यवाही नही की गयी तब आवेदक ने पुलिस अधीक्षक से स्वयं मिलकर दिनांक 18–02–2026 को प्रार्थना पत्र दिया फिर भी कोई मुकदमा दर्ज नही किया गया । उपरोक्त वर्णित कथन करते हुए मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके विधि अनुसार विवेचना करने हेतु थानाध्यक्ष दुबौलिया को आदेशित किये जाने की याचना की गयी है। आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है।

आवेदक की तरफ से आवेदन के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को दिये गये आवेदन की प्रति रजिस्ट्री रसीद तथा अन्य प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है।

मामले के तथ्य आवेदक के व्यक्तिगत ज्ञान में है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों से पुलिस के माध्यम से साक्ष्य संकलित कराये जाने की आवश्यकता नही है। क्योंकि विवेचना से किसी नये तथ्य के प्रकाश में आने की सम्भावना भी नही प्रतीत होती है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सुसंगत प्रावधानों के तहत आवेदक तथा उसके गवाहों की समीक्षा न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

आवेदक की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4)B.N.S.S. परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते बयान धारा 223 बी०एन०एस०एस० दिनांक 21–09–2026 को पेश हो।

ए 0 सी0 जे0 एम 0 द्वितीय
बस्ती।